# क्या हैं घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम २००५



## शारीरिक हिंसा

उदाहरणः मारपीट, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत काटना, मुक्का मारना, धक्का देना, लात मारना या किसी अन्य तरीके से शारीरिक चोट पहुँचाना।

## आर्थिक हिंसा

उदाहरणः खाना कपड़ा दवाई आदि का खर्च ना देना या उपयोग ना करने देना, घर का किराया न देना, घर से ज़बरदस्ती निकाल देना,नौकरी न करने देना, वेतन या मज़दूरी छीन लेना, बिलों का भुगतान ना करना या घर के किसी भाग में ना जाने देना या तथा घर की वस्तुओं का उपयोग ना करने देना।

## यौनिक हिंसा

उदाहरणः ज़बरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना, बाल यौन अत्याचार, अशलील साहित्य या अन्य सामग्री देखने व पढ़ने के लिये मज़बूर करना, महिला की मर्यादा को हानि पहुँचाना या अन्य यौनिक दुर्व्यवहार करना।

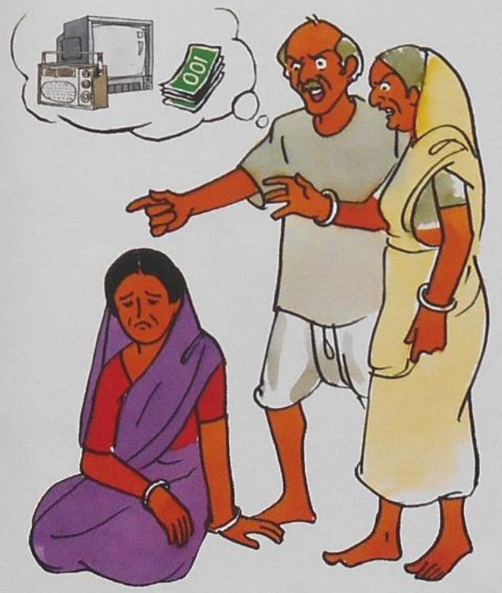



## मानसिक हिंसा

उदाहरणः गाली गलौज करना, कलंक लगाना, बुराई करना, मज़ाक उड़ाना, दहेज आदि के लिये अपमानित करना, बच्चा या बेटा ना होने का ताना देना, शिक्षा या नौकरी के लिये अवरोध डालना, बाहर जाने या किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना, अपनी पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने या ना करने का दबाव डालना, आत्महत्या करने की धमकी देना या अन्य मौखिक दुर्व्यवहार करना।

**कोई भी ऐसा कृत्य जो महिलाओं का आत्मसम्मान या मानवाधिकार से सम्बद्ध नुकसान पहुंचाता है, हिंसा है। घरेलू हिंसा ज़्यादातर पुरुष द्वारा महिलाओं के ऊपर होती है।**

**इस क़ानून के तहत करीबी, खून और कानूनी रिश्तों के बीच हंसा के विरुद्ध शिकयत दर्ज़ किया जा सकता है।**


हमसफ़र महिला सहायता केन्द्र
27, न्यू बेरी रोड, निकट टाइम्स ऑफ इण्डिया
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
फोन – 0522–2205215, 0522–4260119

वनांगना मानवाधिकार इकाई
सटटन चौराहा
हाथीखाना मस्जिद के ठीक सामने
ज़िला बांदा (उत्तर प्रदेश)
फ़ोन – 05192–227294

श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय
ग्राम एवं पोस्ट–जोकहरा
ज़िला–आज़मगढ़
उत्तर प्रदेश
पिन कोडः 276136



www.izadpatna.org

UKaid from the British people

ऑक्सफैम इंडिया OXFAM India

THOUGHTSHOP FOUNDATION thoughtshopfoundation.org